हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए ।
कमाल vs मुन्नी [illegible] T.9.	
6/9/20 ~~वकीलों की कन्डोलेंस~~ covid-19 के कारण पूर्वानुसार वास्ते बहस दिनांक 6/X/20 को पेश हो।	
6/X/20 ~~वकीलों की कन्डोलेंस~~ covid-19 के कारण पूर्वानुसार वास्ते बहस दिनांक 10/11/20 को पेश हो।	
10/11/20 वकील प्रार्थी/अप्रार्थी अनुपस्थित [illegible] वास्ते बहस दि० 11/11/20 को पेश हो।	
11/11/20 वकील [illegible] अपना बहस [illegible] सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 9/12/20 को पेश हो।	
9/12/20 पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्री ओमप्रकाश मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	प्रा0 पत्र	ता0दायरा	ता0निर्णय
25 / 17	अस्थायी निषेधाज्ञा	26.07.17	09.12.2020

01. दयाल पुत्र कन्हैया। जाति मीना निवासी डूंडयापुरा (कीरतपुरा) तहसील सपोटरा
02. कमल पुत्र भौरया। जिला करौली राजस्थान।

–प्रार्थीगण

बनाम

01. मुडया ।
02. हीरालाल। पुत्रान जिंसी
03. भरोसी ।
04. हरी । पुत्रान घमंडी
05. सुरेश पुत्र हीरालाल सभी जातिगण मीना निवासी डूंडयापुरा (कीरतपुरा) तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
06. लैंड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट

संक्षेप मे प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया है कि विवादित आराजी खसरा नं0 40/1/2 नवीन खसरा नं0 40/857 रकबा 05 बीघा वाके ग्राम गज्जूपुरा तहसील सपोटरा प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है। जिससे अन्य दीगर व्यक्ति का कोई वास्ता नही है। प्रार्थीगण की उक्त दर्ज खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि का दिनांक 27.06.2017 को न्यायालय एस.डी.एम. साहब सपोटरा के आदेशानुसार गठित टीम द्वारा दिनांक 29.06.2017 को उक्त दर्ज भूमि का सीमाज्ञान मय पत्थरगढी मौके पर जरीब चलाकर तथा फर्द मौका रिपोर्ट तैयार किया तथा मौके पर पत्थर लगाकर (गाढकर) सीमा चिन्ह कायम किये तथा प्रार्थीगण को पडौसी खातेदार द्वारा प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर किये अतिकमण को हटाकर प्रार्थीगण को पुनः भौतिक रूप से भूमि पर कब्जा संभलाया। दिनांक 01.07.2017 को अप्रार्थीगण सभी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर एक राय होकर आ गये और सभी ने सीमाज्ञान पत्थरगढी शुदा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के हिस्से पर अवैध रूप से पुनः कब्जा कर जोत लगा दी। अप्रार्थीगण कानून प्रशासन से निडर व्यक्ति है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण से सीमा चिन्हो को उखाडने व अवैध रूप से प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा नही करने से रोका तो अप्रार्थीगण मौके पर ही आमादा फिसाद होने पर उतारू हो गये। जिसका अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नही है। इसलिए प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण ने जरिये वकील उपस्थित होकर अपना जवाब पेश कर कथन किया है कि प्रार्थीगण विवादित आराजी पर काबिज नही है। प्रार्थीगण ने विवादित जमीन पर अप्रार्थीगण का कब्जा मानते हुए दखल की दादरसी का दावा किया है. दखल के दावे मे स्थाई निषेधाज्ञा का दावा चलने योग्य नही है। सीमाज्ञान या पत्थरगढी के मुकदमें मे पुराने कब्जे को हटाने का कोई आदेश अदालत एस.डी.ओ. सपोटरा द्वारा नही किया गया है ना ही कानूनन पुराने कब्जे को सीमाज्ञान पत्थरगढी द्वारा हटाया जा सकता है। हम अप्रार्थीगण की जमीन विवादित जमीन से लगी हुई है और अप्रार्थीगण हमेशा से जहां पर कब्जा है वहीं पर काबिज है। अप्रार्थीगण ने कोई अतिकमण नही किया है ना ही नया कब्जा किया है। अप्रार्थीगण का हमेशा से कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थीगण दायरी दावा से अंदर 12 साल जमीन पर काबिज नही है। इसलिए दावा व प्रार्थना पत्र [illegible] म्याद दखल की म्याद भी समाप्त हो चुकी है और प्रार्थीगण के कोई हकूक खातेदारी [illegible] एक्सटिंग्यूइश हो चुके है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण [illegible] हर्जा खर्चा खारिज [illegible]

उपखण्ड अधिकारी सपोटरा,जिला-करौली

Scanned with CamScanner

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी जाकर उस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जमाबंदी फोटोप्रति ग्राम गज्जूपुरा तहसील सपोटरा सम्वत् 2073–76 के अनुसार प्रार्थीगण खसरा नं0 40/857 रकबा 05 बीघा के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। जिसमे अप्रार्थीगण का कोई हिस्सा दर्ज नही है। इसलिए प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम आदेश दिनांक 26.07.2017 को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि ग्राम गज्जूपुरा तहसील सपोटरा की आराजी खसरा नं0 40/857 रकबा 05 बीघा मे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न ना तो स्वयं करे ना ही किसी दीगर व्यक्ति से करावे। निर्णय आज दिनांक 09.12.2020 को रारे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दावा रहे।

(ओम प्रकाश मीना आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned with CamScanner